न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर, सीकर

पीठासीन अधिकारी – बृजेश कुमार (आर.ए.एस.)

वाद संख्या 08/2020

1. विशाल सिंह पुत्र हणमान सिंह जाति जाट उम्र 49 साल निवासी वार्ड नम्बर 12 ग्राम सिहोडी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

– वादी

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र [redacted]-हणमान सिंह जाति जाट उम्र 52 साल निवासी वार्ड नम्बर 12 ग्राम सिहोडी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)
2. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)
3. पटवारी, पटवार हल्का सिहोडी

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड

उपस्थित – 1. श्री विक्रम सिंह बांकावत वकील वादी
2. श्री जितेन्द्र सिंह गौड वकील प्रतिवादी सं.1

निर्णय

दिनांक –28.10.20

संक्षेप में वाद वादी इस प्रकार है कि ग्राम सिहोडी पटवार हल्का सिहोडी स्थित भूमि खसरा नंबर 450 कुल किता 1 कुल रकबा 1.80 है., में हिस्सा 1/4 की खातेदारी सुल्तान पुत्र हडमान के नाम दर्ज है जबकि खातेदार वादी का वास्तविक नाम विशाल सिंह पुत्र हडमान सिंह है। यह भूमि वादी के पिता हडमान सिंह ने संयुक्त हिन्दु परिवार की आय से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 05.07.1994 एवं दिनांक 13.06.2000 के द्वारा साबिक खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2020.10.29 12:44:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फा... ...)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

/विक्रेता रामेश्वर पुत्र मांगू जाति जाट एवं पूरणमल पुत्र मांग्या जाति जाट निवासी सिहोडी से क्रय करते हुये वादी एवं प्रतिवादी 1 के नाम रजिस्टर्ड विक्रय लेख तस्दीक करवाया था। वादी का नाम घर का बोलता नाम सुल्तान पुत्र हडमान है। इसलिये वादी के पिता ने रजिस्टर्ड विक्रय लेख में वादी का नाम सुल्तान पुत्र हडमान लिखवा दिया। समस्त सरकारी दस्तावेज एवं विद्यालय रिकार्ड में वादी का नाम विशाल सिंह पुत्र हडमान ही दर्ज है। तत्कालीन पंजीयन नियमानुसार विक्रय लेख पंजीयन के समय विक्रय लेख पर न तो क्रेता के हस्ताक्षर होते थे, न ही पहचान सम्बन्धी दस्तावेज लिये जाते थे इस कारण भी विक्रय लेख मे वादी का नाम घर का बोलता नाम सुल्तान पुत्र हडमान दर्ज हो गया। राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं एवं अन्य सुविधाओं में परेशानी होने तथा प्रतिवादीगण को नाम दुरूस्ती हेतु निवेदन करने पर न्यायालय से वाद दायर कर आदेश लाने हेतु कहने पर वाद अन्दर न्यायालय क्षेत्र पैदा हुआ है। अतः वाद वादीगण डिक्री फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम सुल्तान पुत्र हडमान के स्थान पर विशाल सिंह पुत्र हडमान घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जावे एवं उक्तानुसार दुरूस्ती हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश प्रदान किया जावे।

वादी का वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण 2 एवं 3 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी 1 ने राजीनामा पेश कर अनुतोष दिये जाने पर कोई एतराज नही किया एवं अनुतोष स्वीकार किया। वादी ने वाद के समर्थन में मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र एवं पिता हडमान का शपथ पत्र बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किया।

बहस वकुलाय उभय पक्ष सुनी गयी। बहस वकील उभय पक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी में सुल्तान पुत्र हडमान सहखातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। वादी का कथन कि वादी का वास्तविक नाम विशाल सिंह पुत्र हडमान है के समर्थन में वादी ने परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी तथा 10वीं की अंकतालिका, प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत सिहोडी, बैंक पासबुक प्रस्तुत किया है

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2020.10.29 12:44:04 IST
Reason: SelfAttested

जिसमें वादी का विशाल सिंह पुत्र हडमान दर्ज है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, साक्ष्य, दस्तावेजात से वाद वादी बाबत् घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती साबित होने से स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा राजस्व ग्राम सिहोडी पटवार हल्का सिहोडी स्थित भूमि खसरा नंबर 450 कुल किता 1 कुल रकबा 1.80 है., में हिस्सा 1/4 में **सुल्तान पुत्र हडमान हिस्सा 1/4** के स्थान पर **विशाल सिंह पुत्र हडमान हिस्सा 1/4** घोषित एवं दुरुस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(ब्रजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
श्रीमाधोपुर

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2020.10.29 12:44:04 IST
Reason: SelfAttested